भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2320

उत्तर देने की तारीख 01 अगस्त, 2022 (सोमवार)

10 श्रावण, 1944 (शक)

प्रश्न

नागालैंड सहित एनईआर हेतु विकास योजनाएं

†2320. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:
श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) निर्धारित लक्ष्य और उसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के परिणाम क्या रहे;
(ग) क्या सरकार की एनईआर की तर्ज पर देश के अन्य भागों के विकास में तेजी लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) एनईआर में जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नागालैंड और एनईआर के अन्य राज्यों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क), (ख) और (ङ) पचपन (55) गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास की गति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका 1 : 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)			
वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2018-19	47,994.88	47,087.95	46,054.80
2019-20	59,369.90	53,374.19	48,533.80
2020-21	60,112.11	51,270.90	48,563.80
2021-22	68,020.24	68,440.26	70,874.32*
कुल	**235,497.13**	**220,173.3**	**455,670.43**
स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण-11, विभिन्न वर्ष **नोट: *वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की जांच के अध्यधीन हैं।**			

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, जलमार्ग कनेक्टिविटी, विद्युत कनेक्टिविटी और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार से संबंधित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हवाई कनेक्टिविटी: 2016-17 से 2021-22 तक कुल 28 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी अनुमोदित लागत 975.58 करोड़ रुपये और पूर्णता लागत 979.07 करोड़ रुपये है। 2,212.30 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 15 परियोजनाएं चालू हैं।

ii. रेल कनेक्टिविटी: 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से/आंशिक रूप से शामिल 1,909 किमी लंबाई के लिए 77,930 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 2014 से स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं जो आयोजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 409 किमी लंबाई का कार्य आरंभ हो गया है और मार्च, 2022 तक 30,312 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इनमें शामिल परियोजनाएं हैं (i) 61,520 करोड़ रुपये की लागत से 1,181 किमी की लंबाई को कवर करने वाली 14 नई लाइन परियोजनाएं जिसमें 361 किमी लंबाई का कार्य आरंभ हो गया है और मार्च, 2022 तक 27,458 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है; तथा (ii) 16,410 करोड़ रुपये की लागत से 728 किमी की लंबाई को कवर करने वाली 5 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं जिनमें से 48 किमी लंबाई का कार्य आरंभ हो गया है और मार्च, 2022 तक 2,854 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

iii. सड़क कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 58,385 करोड़ रुपये की लागत से कुल 4016.48 किमी का कार्य चल रहा है। ये परियोजनाएं पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई थीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी हो चुकी परियोजनाएं 15,570.44 करोड़ रुपये की लागत से 3099.50 किमी की लंबाई को कवर करती

हैं। चालू परियोजनाओं के मई 2024 तक पूरा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख राजधानी सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं में नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा रोड (62.9 किमी) को 4 लेन का करना; अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी तक नौगांव बाईपास (167 किमी) को 4 लेन का करना; सिक्किम में बागराकोटे से पाक्योंग (एनएच-717ए) (152 किमी) तक वैकल्पिक दो लेन का राजमार्ग; मिजोरम में आइजोल-तुइपांग राष्ट्रीय राजमार्ग-54 (351 किमी) को दो लेन का करना; मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के इम्फाल-मोरेह खंड (20 किमी) को 4 लेन का करना और 75.4 किमी को 2 लेन का करना शामिल है।

iv. जलमार्ग कनेक्टिविटी: धुबरी (बांग्लादेश सीमा) से सादिया (891 किमी) तक ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) के रूप में घोषित किया गया था। जलमार्ग को आवश्यक गहराई और चौड़ाई के फेयरवे, दिन और रात के नेविगेशन एड्स और टर्मिनलों के साथ विकसित किया जा रहा है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 461 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बराक नदी को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (एनडब्ल्यू -16) के रूप में घोषित किया गया था। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से असम की कछार घाटी में सिलचर, करीमगंज और बदरपुर को हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जोड़ता है। निर्मित और नियोजित सुविधाओं पर 5 वर्षों (2020-2025) के दौरान 145 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

v. विद्युत कनेक्टिविटी: विद्युत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में 2014 से विद्युत उत्पादन (हाइड्रो/थर्मल) परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इसके अलावा, इन पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण और वितरण नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 740 मेगावाट की 03 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) शुरू की गई हैं। असम राज्य में एक गैस आधारित विद्युत परियोजना अर्थात् मैसर्स असम पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 69.755 मेगावाट क्षमता (7 x 9.965 मेगावाट) की लखवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना 14.02.2018 को शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों को अपनी विद्युत वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं ताकि वितरण अवसंरचनाओं आदि की मीटरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता के साथ-साथ उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सृजन/संवर्धन के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें नई पारेषण लाइनें, मौजूदा उपकेंद्रों का विस्तार/उन्नयन, परिवर्तन क्षमता में वृद्धि, पारेषण लाइनों का पुन संचालन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) दो प्रमुख अंतर-राज्य विद्युत पारेषण और वितरण स्कीमें नामतः (i) 6700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों (33केवी और उससे अधिक) के सुदृढ़ीकरण के लिए छह राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड) के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी); और (ii) 9129.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

(vi) दूरसंचार कनेक्टिविटी: दूरसंचार विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजनाएं भी शामिल हैं (i) असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) में अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज (ii) मेघालय में और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ 4जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल कनेक्टिविटी; (iii) अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी; (iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के लिए भारत नेट और वाई-फाई कनेक्टिविटी; और (v) कॉक्स बाजार के माध्यम से बीएससीसीएल, बांग्लादेश से अगरतला तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर लेना। पूर्वोत्तर राज्यों में, 1246 गांवों को कवर करते हुए 1358 टावर स्थापित किए गए हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

3. इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय विभिन्न स्कीमों/पैकेजों का कार्यान्वयन कर रहा है जैसे पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम, असम के विशेष पैकेज [बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी) और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी)], पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ), एनईसी (पूर्वोत्तर परिषद) की स्कीमें और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस)। इन विकासात्मक स्कीमों/पैकेजों के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित 15,867.01 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार हैः-

			(करोड़ रु. में)
क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी की स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाएं**	
		संख्या	**लागत**
1	2014-15	71	1,500.40
2	2015-16	126	1,564.53
3	2016-17	152	1,925.45
4	2017-18	274	3,114.46
5	2018-19	70	1,340.33
6	2019-20	174	1,983.91
7	2020-21	206	1,685.31
8	2021-22	277	2,752.62
	कुल	**1,350**	**15,867.01**

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी की स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**स्वीकृत परियोजनाएं**		**पूरी की गईं परियोजनाएं**		**जारी परियोजनाएं**	
		संख्या	**लागत**	**संख्या**	**लागत**	**संख्या**	**लागत**
1	अरुणाचल प्रदेश	174	1,895.56	49	318.04	125	1,577.52
2	असम	197	2,830.41	29	287.63	168	2,542.78
3	मणिपुर	235	2,294.07	63	795.34	172	1,498.73
4	मेघालय	111	1,512.77	24	130.84	87	1,381.93
5	मिजोरम	152	1,314.22	53	372.82	99	941.40
6	नागालैंड	187	1,965.69	45	241.4	142	1,724.29
7	सिक्किम	67	808.51	17	182.82	50	625.69
8	त्रिपुरा	76	1,010.31	9	142.04	67	868.27
9	अन्य एजेंसी*	151	2,235.47	56	742.06	95	1,493.41
	कुल	**1,350**	**15,867.01**	**345**	**3,212.99**	**1005**	**12654.02**

*सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनईसी की स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न एजेंसियों को स्वीकृत परियोजनाएं।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जनजातीय समुदायों से संबंधित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपनी स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 15,867.01 करोड़ रुपये की 1350 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद और इसके केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के खाद्य और हस्तशिल्प सहित कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी), जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एक सीपीएसयू है, सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों और बुनकरों से हस्तशिल्प और हथकरघा खरीदता है और शिलांग, गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली, केवडिया (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के पास) में स्थित "पूर्वश्री" एम्पोरिया की अपनी श्रृंखला और चेन्नई में स्थित अपने बिक्री संवर्धन कार्यालय के माध्यम से इसकी खुदरा बिक्री करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। एनईआरएएमएसी ने लोगों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में बिहू महोत्सव सहित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। एनईसी के तहत एक सोसायटी, पूर्वोत्तर बेंत और बांस

विकास परिषद (एनईसीबीडीसी) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की बांस प्रौद्योगिकी और बांस हस्तशिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए जम्मू में एक कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित की है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका आदि से संबंधित निम्नलिखित स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा हैः-

(i) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
(iii) प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)
(iv) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
(v) विदेशों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस)
(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
(vii) अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)
(viii) प्रधान मंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
(ix) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
(x) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता
(xii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

*****